



राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प घांघू

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी घांघू व भूअ.नि. घांघू की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चूरु / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बासजैसेका, घांघू तहसील चूरु व जिला चूरु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 135, 170 व 325 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	बासजैसेका	135	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार
2.	— " —	170	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार
3.	घांघू	325	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालाराम हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार	लक्ष्मीचन्द पुत्र मालचन्द हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी घांघू खातेदार

18/10/21
पीठासीन अधिकारी
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 116/2021

दिनांक :- 18.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, चूरु को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लक्ष्मीचन्द पुत्र मालचन्द जाति ब्राह्मण निवासी घांघू को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रा.सं. 606 18.10.2021 135

रा.सं. 606 18.10.2021 170

रा.सं. 1745 18.10.2021 घांघू

18/10/21
भू-अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.)